अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता०.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्या 72/2013** मो० मुस्ताक एवं अन्य –– अपीलार्थीगण वनाम मो० कैयुम –– रेस्पोण्डेन्ट **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत अपील वाद मो० मुस्ताक, मो० मोहिउद्दीन दोनों पिताः– मो० अब्दुल अजीज ग्रामःगौसाबाद, पोस्टः रामविशनपुर, प्रखंडः राघोपुर, जिलाः– सुपौल द्वारा बी०एल०डी०आर० वाद संख्या 111/12 में विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में यह कथन किया गया है कि– अपीलार्थी द्वारा जनता दरबार में एक अपील दायर किया गया, जिसे अपर समाहर्त्ता, सुपौल ने अपने पत्रांकः 550 दिनांकः 24.04.2012 द्वारा इस आवेदन को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजा गया एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा मौजा– घौसाबाद, खेसरा संख्याः 122/123 के संबंध में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वाद संख्याः 111/12 की सुनवाई प्रारंभ की गई एवं सभी संबंधितों को नोटिश निर्गत किया गया था, परन्तु अपीलार्थी को इस वाद का कोई भी नोटिश प्राप्त नहीं हुआ इसके बावजूद आवेदक/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तत्संबंधी आदेश दिनांक 04.12.12 को पारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी यह भी कथन किया गया है कि उप–समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा अपने पत्रांकः 31–2 दिनांकः 10.01.2012 के द्वारा गौसाबाद की उक्त जमीन की मापी का आदेश दिया गया परंतु अमीन लड्डू लाल द्वारा स्वयं उक्त भूमि की मापी नहीं कि गई और इस भूमि की मापी रेस्पोण्डेन्ट द्वारा लाये गये अमीन द्वारा की गई और तद्नुसार निशान देकर भूमि को परिभाषित किया गया तथा यह कहा गया कि अमीन का नाम मुस्ताक है और वह	

पंचायत सचिव का भाई है।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि मौजा–गौसाबाद के खाता संख्याः 92/100, खेसरा संख्याः 122 जो कि बिहार सरकार गैरमजरूआ आम भूमि है, परंतु प्रतिवादी द्वारा इसे 100 वर्षो से अपनी आवासीय भूमि होना बताया गया है एवं उक्त भूमि पर 35 परिवार रहते आए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि खेसरा संख्याः 123 गैरमजरूआ आम भूमि है और खेसरा संख्याः 122 पर रेस्पोण्डेन्ट का मकान अवस्थित है एवं अंचल एवं भू–अर्जन अमीन द्वारा भी अवैधानिक एवं गलत रूप से भूमि की मापी की गई। उपरोक्त मापी के विरूद्ध आवेदन दिया गया तथा प्रतिवादी द्वारा अंचल के साथ साठ–गॉठ कर खेसरा संख्याः 122 को गैर मजरूआ दर्शाते हुए नोटिश निर्गत किया गया एवं इस नोटिश में खेसरा संख्याः 123 को भी गैर मजरूआ बताया गया है एवं यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वारा यह कहा गया कि उनके द्वारा भू–बंदोबस्ती हेतु एक आवेदन दाखिल किया एवं उक्त भू–बंदोबस्ती से संबंधित वाद संख्याः 1/99–2000 जिसे आज तक उपस्थापित नहीं किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वारा उपरोक्त वाद से संबंधित छाया प्रति उपस्थापित किया गया। उक्त वाद से संबंधित छायाप्रति के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि उक्त बंदोबस्ती से संबंधित प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा गया था एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा अंचल अधिकारी को तद्नुसार बंदोबस्ती हेतु निदेशित किया गया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थित में ही दिनांकः 04.12.2012 को तत्संबंधी आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर अनुतोष की मांग की गई हैः–

1. विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के दृष्किोण से गलत होने के साथ ही साथ वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के सर्वथा विरूद्ध है।

2. भूमि का खेसरा संख्याः 122 गैर मजरूआ आम भूमि है एवं खेसरा संख्याः 123 सड़क है जिसे अपीलार्थी एवं अन्य आम लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। सड़के के ठीक बगल में अपीलार्थी का रैयती भूमि खेसरा संख्याः 150, 151, एवं 152 अवस्थित है जिसपर अपीलार्थी का आवासीय मकान एवं दरवाजा पिछले 12 वर्षो से अवस्थित है एवं उक्त भूमि अपीलार्थी के शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है।

3. रेस्पोण्डेन्ट अवैधानिक एवं गलत तरीके से धोखेबाजी करके खेसरा संख्याः 123 को अपने नाम से बंदोबस्त कराना चाहते हैं जो कि एक सड़क है जिसे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है एवं खेसरा संख्याः 122 गैर मजरूआ आम भूमि है, एवं भिण्डा का गड्ढा है जिसे आम जनता द्वारा उपयोग किया जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा भिण्डा की मरम्मति की गई एवं उक्त भूमि को छठ पर्व एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान हेतु निश्चित किया गया था एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से एक आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निर्माण किया गया था।

4. संपूर्ण भूमि का खेसरा संख्याः 121, 122, 123 आम भूमि है एवं इसे बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है एवं रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अवैधानिक एवं निज स्वार्थ में गलत तरीके से बंदोबस्ती के माध्यम से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

5. पुराने खतियान एवं नये खतियान में पुराना खेसरा संख्याः 122, 123 गैर मजरूआ आम भूमि है इसलिए उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि को आम हिन्दु जनता जो कि उक्त भिण्डा एवं पोखर को भौगौलिक रूप से छठ पर्व के लिए लिए उपयोग करती है, को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे स्थानीय समुदाय के बीच जाति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

6. अंचल अमीन एवं भू–अर्जन अमीन द्वारा उक्त भूमि की कई बार मापी की गई है एवं तद्नुसार प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवादी अकारण ही एक आवेदन दाखिल कर उक्त मापी को गलत बता रहे हैं।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं यह पाया कि अपीलार्थी/ प्रतिवादी का यह कथन कि उन्हें नोटिश किसी भी स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है गलत प्रतीत होता है क्योंकि विज्ञ निम्न न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि घरेलू सदस्यों द्वारा सूचना लेने से इंकार किया गया। गवाहों के सामने उत्तररूख के बैठक में नोटिश लटकाकर तामिला किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश फलक में यह भी अंकित किया गया है कि प्रस्तुत वाद दिनांकः 07.08.2012 से 04.12.2012 तक 13 तिथियों तक प्रक्रियाधीन रहा इसलिए इस वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई। इससे प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया परंतु वे सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने हेतु निम्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वर्णित परिपेक्ष्य में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी को इस अपील वाद में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसके साथ ही अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

9/12/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

9/12/13
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा